रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 2 जून, 2003/12 ज्येष्ठ, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

अधिसूचना

मण्डी, 24 अप्रैल, 2003

संख्या पी0सी0एन0-एम0एन0डी0/2001-1941-51.—जिला मण्डी की पंचायत समिति, गोहर के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो गए थे, के निर्वाचन दिनांक 10-4-2003 को सम्पन्न हो चुके हैं और उनके परिणाम प्राधिकृत अधिकारी, उप-मण्डल अधिकारी (ना0) गोहर द्वारा प्ररूप-42 पर घोषित किए जा चुके हैं।

अत: मैं, जे0पी0 सिंह, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 124 के अनुसरण में जिला मण्डी की

पंचायत समिति, गोहर के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के नाम व पते निम्न प्रकार से अधिसूचित करता हूं :—

1. निर्वाचित अध्यक्ष का नाम व पता :

श्री खेम सिंह सुपुत्र श्री सुतागर राम, गांव सलाहर, डा० देवधार, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम व पता :

श्रीमती हसां देवी सुपुत्री श्री खेम सिंह, गांव बरजोहडू, डा० कोट, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

जे० पी० सिंह,
उपायुक्त मण्डी,
जिला मण्डी (हि० प्र०)।

कारण बताओ नोटिस

मण्डी, 1 मई, 2003

संख्या पी० सी० एच-एम० एन० डी/2001-2153-58.—हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पी० सी० एच-एच० ए०(3)-5/94-II-340-344, दिनांक 8-1-2003 के अन्तर्गत मुराह (थाटाधार) को ग्राम पंचायत मुराह का मुख्यावास घोषित किया गया है, जिसकी सूचना आपको तथा जनसाधारण को विधिवत रूप से करा दी गई थी।

यह कि उपरोक्त अधिसूचना का पूर्ण ज्ञान होते हुए भी आप दिनांक 8-1-2003, जबकि मुख्यावास स्थापना सम्बन्धी अधिसूचना जारी हुई के पश्चात् आयोजित होने वाली ग्राम पंचायत की निश्चित् तिथियों को आयोजित होने वाली बैठकों में स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहे हैं। आपके तथा ग्राम पंचायत के कुछ अन्य पंचों की अनुपस्थिति के कारण तथा उसके परिणामस्वरूप आहार्य संख्या पूर्ण न होने की दशा में यह बैठकें स्थगित करनी पड़ी है। नियमानुसार प्रत्येक मास ग्राम पंचायत की कम से कम एक बैठक पंचायत कार्यालय में आयोजित करना आपका वैधानिक दायित्व है, तथा ग्राम पंचायत मुराह द्वारा प्रत्येक मास दिनांक 8 व 23 को ग्राम पंचायत की निश्चित बैठकें निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार यह कारण बताओ नोटिस जारी होने तक आप निरन्तर आठ ग्राम पंचायत की बैठकों में बिना अनुपस्थिति की पूर्व सूचना ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी अथवा उप-प्रधान ग्राम पंचायत मुराह को दिए अनुपस्थित रहे हैं।

तथा यह कि ग्राम सभा की सामान्य बैठक दिनांक 6-4-2003 को ग्राम सभा मुख्यालय मुराह थाटाधार में आयोजित करने का दायित्व आपका था, परन्तु विधि अनुसार दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहते हुए आप उक्त तिथि को ग्राम सभा की ग्राम सभा मुख्यालय में आयोजित होने वाली बैठक में भी न केवल अनुपस्थित रहे, अपितु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त सूचना अनुसार आपके द्वारा अनियमित रूप से मुराह काण्डीधार में एक समान्तर ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जबकि लगभग 150 ग्राम सभा सदस्य ग्राम सभा मुख्यालय मुराह थाटाधार में बैठक के आयोजन की प्रतीक्षा करते रहे। आपका यह व्यवहार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 8 के प्रावधान की गम्भीर उल्लंघना का मामला है।

अतः एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है ग्राम उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के भीतर-भीतर लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट करें कि क्यों न आपके

विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (1) के खण्ड-बी के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए । आपका स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपने अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय आदेश

मण्डी, 21 मई, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-3482-87.—यह कि श्री प्रताप चन्द, सदस्य पंचायत समिति, चौन्तड़ा, जिला मण्डी को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-1862-64, दिनांक 9-4-2003 के अन्तर्गत 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किए गए थे, कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122 (ण) के अन्तर्गत अपने पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए ।

तथा यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी का स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 24-4-2003 को प्राप्त हो चुका है । उक्त पदाधिकारी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया है कि उनके दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है, परन्तु तर्क दिया है कि उनकी तीसरी सन्तान का गर्भ धारण 8-6-2001 से पूर्व हो चुका था । अतः वे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में दिए प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी का स्पष्टीकरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जांच किए जाने पर इसे असन्तोषजनक पाया गया । हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122 के खण्ड (ण) के अन्तर्गत प्रावधान स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्था का ऐसा कोई भी पदाधिकारी जिसके 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न होती है, तो वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जा सकेगा । उक्त प्रावधान में पंचायत पदाधिकारी के 8-6-2001 से पूर्व गर्भ धारण करने की स्थिति में किसी भी प्रकार की रियायत की व्यवस्था नहीं है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री प्रताप चन्द, सदस्य, पंचायत समिति चौन्तडा, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को तत्काल अपने पद पर पदासीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में पंचायत समिति चौंतड़ा के वार्ड 5 चौंतड़ा के पद को भी रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 22 मई, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-3545-52.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 1-11-2002 के अन्तर्गत श्री मुकुन्द लाल, पंच, ग्राम पंचायत दुब्बल, विकास खण्ड चौन्तडा, जिला

मण्डी (हि0 प्र0) के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है । प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री मुकुन्द लाल, पंच, ग्राम पंचायत द्रुब्बल को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांक: पी0 सी0 एच0-एम0 एन0 डी0/2001-6701-03, दिनांक 31-12-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किए गए कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बनें रहने के अयोग्य घोषित किया जाए ।

यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी से स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 1-4-2003 को प्राप्त हुआ है । अपने स्पष्टीकरण में उक्त पंचायत पदाधिकारी ने उनके तीसरी जीवित सन्तान दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् उत्पन्न होना स्वीकार किया है ।

तथा यह कि उक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उदधृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त है, श्री मुकुन्द लाल, पंच, ग्राम पंचायत द्रुब्बल, विकास खण्ड चौन्तडा को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्रुब्बल, विकास खण्ड चौन्तडा के वार्ड-1 द्रुब्बल के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 22 मई, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-3488-95.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 24-2-2003 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार, पंच ग्राम पंचायत धिस्ती, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई हैं । प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री नरेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत धिस्ती को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-1451-53, दिनांक 29-3-2003 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किये गये कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बनें रहने के अयोग्य घोषित किया जाये ।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धिस्ती से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 2-4-2003 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम सरयाच के परिवार संख्या 15 को प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री नरेन्द्र कुमार –पुत्र श्री राम सिंह, ग्राम सरयाच, ग्राम पंचायत धिस्ती, के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 2-8-2001 को तीसरी सन्तान पुत्री के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है । इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं । यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

उपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उदधृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त है, श्री नरेन्द्र कुमार, पंच, ग्राम पंचायत धिस्ती, विकास खण्ड गोहर को तत्काल अपने पद असीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालन में ग्राम पंचायत धिस्ती विकास खण्ड गोहर के वार्ड 5-सरयाच के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

मण्डी, 22 मई, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-3496-3503.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 12-6-2002 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार, उप-प्रधान ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी हि0 प्र0 के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई हैं। प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री विनोद कुमार, ग्राम पंचायत टिक्कर को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-4067-71, दिनांक 19-7-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किये गये कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टिक्कर से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 22-4-2003 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम तरैला के परिवार संख्या 5 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री विनोद कुमार सुपुत्र श्री निरत राम, ग्राम तरैला, ग्राम पंचायत टिक्कर के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 9-5-2002 को चौथी सन्तान के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधी में आते हैं। यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 से सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, जे0पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी हि0 प्र0 उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री विनोद कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड द्रंग को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड द्रंग के उप- प्रधान के पद को रिक्त घोषित करता करता हूं।

मण्डी, 22 मई, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-3504-11.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 27-3-2003 के अन्तर्गत श्रीमती आशा बन्ती, सदस्य, पंचायत समिति सराज, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी

हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है । प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्रीमती आशा बन्ती, सदस्य पंचायत समिति, सराज को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एच0-एम0 एन0 डी0/2001-1436-38, दिनांक 29-3-2003 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किए गए कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाए ।

यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी से स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 17-4-2003 को प्राप्त हुआ है । अपने स्पष्टीकरण में उक्त पंचायत पदाधिकारी ने उनके तीसरी जीवित सन्तान दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् उत्पन्न होना स्वीकार किया है ।

तथा यह कि उक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0प्र0 से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त है, श्रीमती आशा बन्ती, पंचायत समिति सदस्य, विकास खण्ड सराज को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में पंचायत समिति सदस्य, विकास खण्ड सराज के वार्ड 6-घाटा के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 22 मई, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-3512-19.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 2-1-2003 के अन्तर्गत श्री सोम कृष्ण, पंच, ग्राम पंचायत मशोग, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है । प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री सोम कृष्ण, ग्राम पंचायत मशोग को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-1457-59, दिनांक 29-3-2003 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किए गए कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाए ।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मशोग से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 9-4-2003 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम शामान्द के परिवार संख्या 4 को प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री सोम कृष्ण, पंच सुपुत्र श्री परम, ग्राम शामान्द, ग्राम पंचायत मशोग के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 31-10-2002 को तीसरी सन्तान पुत्र के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है : इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं । यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, जे0पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त है, श्री सोम कृष्ण, पंच, ग्राम पंचायत मशोग, विकास खण्ड करसोग को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत मशोग, विकास खण्ड करसोग के वार्ड 2-सवणास के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 22 मई, 2003

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-3521-28.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 2-1-2003 के अन्तर्गत श्री नानक चन्द पंच, ग्राम पंचायत मशोग, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है । प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री नानक चन्द, ग्राम पंचायत मशोग को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-1460-62, दिनांक 29-3-2003 के अधीन 15 दिनों के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट के निर्देश किए गए कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाए ।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मशोग से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 9-4-2003 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम मशोग के परिवार संख्या 14 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री नानक चन्द सुपुत्र श्री चुनी लाल, ग्राम मशोग, ग्राम पंचायत मशोग के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 24-1-2002 को पांचवीं सन्तान पुत्र के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है । इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं । यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, जे0पी0 सिंह (भा0 प्र0 से), उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री नानक चन्द, पंच, ग्राम पंचायत मशोग, विकास खण्ड करसोग को तत्काल अपने पद पर असीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत मशोग, विकास खण्ड करसोग के वार्ड 5-मशोग के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 22 मई, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-3529-36.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 24-3-2003 के अन्तर्गत श्रीमती डिम्पल, पंच, ग्राम पंचायत बस्सी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है । प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्रीमती डिम्पल, पंच, ग्राम पंचायत बस्सी को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांक पी0 सी0 एच0-एम0 एन0 डी0/2001-1454-56, दिनांक 29-3-2003 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किए गए कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाए ।

यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी से स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 24-4-2003 को प्राप्त हुआ है। अपने स्पष्टीकरण में उक्त पंचायत पदाधिकारी ने उनके तीसरी जीवित सन्तान दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् उत्पन्न होना स्वीकार किया है।

तथा यह कि उक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते है यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त है, श्रीमती डिम्पल, पंच, ग्राम पंचायत बस्सी, विकास खण्ड गोहर को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत बस्सी, विकास खण्ड गोहर के 2 टिक्कर-II के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

मण्डी, 22 मई, 2003

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-3537-44.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 5-3-2003 के अन्तर्गत श्री संजय कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रोपडी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है। प्राप्त सूचना के दृष्टिगत श्री संजय कुमार, ग्राम पंचायत रोपडी को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन-एम0 एन0 डी/2001-1442-44, दिनांक 29-3-2003 के अधीन 15 दिन के भीतर-2 स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किये गये कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रोपड़ी से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 2-4-2003 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम रोपड़ी के परिवार संख्या 76/1 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री संजय कुमार पुत्र श्री हंस राज, ग्राम रोपड़ी, ग्राम पंचायत गपड़ी के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 21-12-2002 को तीसरी सन्तान पुत्र के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी (हि0 प्र0) पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं। यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उन शक्तियों का प्रयो करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री संजय कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रोपड़ी, विकास खण्ड धर्मपुर को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत रोपड़ी, विकास खण्ड धर्मपुर के उप-प्रधान के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

जे0 पी0 सिंह,
उपायुक्त मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित